उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
संख्या89/VII-1/2015/137-उद्योग/2005
देहरादून : दिनांक : /2 जनवरी, 2015

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 2381/सात-औ0वि0-1/2005-137 उद्योग/2005, दिनांक 07 जुलाई, 2005 जिसके द्वारा राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, के क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 17 के प्रावधान के अंतर्गत राज्य में अधिसूचित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों एवं मेगा प्रोजेक्ट के लिये विनियमित क्षेत्रों जो कि अधिसूचित हो गये हो, में भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने का अधिकार राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (SIDA) को दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है।

2- राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना दिनांक 07 जुलाई, 2005 के द्वारा SIDA के अध्यक्ष के रूप में सचिव उत्तराखण्ड शासन उद्योग विभाग या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे न हो, में आंशिक संशोधन करते हुये SIDA के अध्यक्ष के रूप में अवस्थापना विकास आयुक्त/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को नामित किया जाता है।

3- सीडा के गठन की अधिसूचना दिनांक 07.07.2005 के द्वारा की व्यवस्थाओं के अनुसार राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का कार्यालय सिडकुल मुख्यालय आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में स्थापित किये जाने तथा प्राधिकरण के समस्त सचिवालयी कार्यो के सम्पादन हेतु सीडा सचिवालय की संरचना निम्नवत् की जाती है:-

1. संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग पदेन संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी सीडा।
2. अनु सचिव, औद्योगिक विकास विभाग पदेन अनुसचिव, सीडा।
3. अनुभाग अधिकारी, औद्योगिक विकास विभाग पदेन अनुभाग अधिकारी सीडा।
4. समीक्षा अधिकारी, औद्योगिक विकास विभाग पदेन समीक्षा अधिकारी सीडा।

4- नोडल अधिकारी द्वारा सीडा के प्रकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 81 /VII-1/2015/137-उद्योग/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल।
3. स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री औद्योगिक विकास विभाग।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त उपाध्यक्ष/सचिव, विकास क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित है कि अधिसूचना राजकीय गजट में प्रकाशित करते हुये 100 प्रतियां औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव।